dt-04-05-20

Pt. Lec.- Keshav Kumar Shrivastava
College - R.M.M. Lal College, Saharsa

(1) L.L. Part IIIrd : Labour Law : VIth Paper

Q-1. Define and explain 'Factory' test to determine whether an establishment is factory.

or

Analyse the definition of Factory under the Factories Act 1948. Explain the importance of manufacturing Process in this context.

कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत कारखाना शब्द को परिभाषित करें और इसके महत्व को समझाइए एवं किसी प्रतिष्ठान को कारखाना निर्धारित करने वाले का क्या माप-दंड है या कोई संस्थान कारखाना है या नहीं, यह कैसे निर्धारित किया जाता है।

Ans.- कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कारखाना की परिभाषा अधिनियम की धारा-2 (m) के अन्तर्गत ऐसे परिसर (दीवालों से घिरे हुए स्थान) से है — (क) जिसमें 10 या 10 से अधिक श्रमिक काम करते है या पिछले 12 महीने से किसी दिन इतनी संख्या में श्रमिक कार्य कर रहे थे और जिसके किसी भाग में निर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता से चालू की जाती है या साधारणतः इस प्रकार संचालित होती है, या (ख) जिसमें 20 या 20 से अधिक कर्मचारी काम करते है या पिछले 12 महीने में किसी दिन इतनी संख्या में श्रमिक कार्य कर रहे थे और जिसके किसी भाग में निर्माण प्रक्रिया बिना किसी शक्ति की सहायता से चालू की जाती है या साधारणया ऐसे संचालित होती है।

इस प्रकार उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि कारखाने की परिभाषा के अन्तर्गत वे सभी प्रतिष्ठान सम्मलित है जिसमें 10 या उससे अधिक श्रमिक कार्य करते है। परन्तु यहाँ निर्माण की प्रक्रिया शक्ति से चलनी चाहिए। अगर निर्माण प्रक्रिया बिना किसी शक्ति के हो रही है तो कारखाना की संज्ञा के लिए कम-से-कम 20 व्यक्तियों को कार्यरत होना चाहिए।

किसी प्रतिष्ठान को कारखाना निर्धारण करने का माप-दंड के अंतर्गत 'कारखाना' शब्द में यह स्पष्ट है कि सभी प्रतिष्ठान सम्मलित है जिसमें कि 10 या अधिक कर्मचारी कार्य करते है जबकि प्रतिष्ठान में शक्ति की सहायता से निर्माण प्रक्रिया संचालित की जाती है तथा संस्थापन में निर्माण प्रक्रिया बिना किसी शक्ति के संचालित हो रही हो ऐसे संस्था 20 या अधिक

Scanned with CamScanner

Pl. Lec.- Keshav Kumar Shrivastava
College :- R.M.M. Law College, Saharsa.
L.L.B. Part IIIrd : Labour Laws : VIth Paper

कर्मचारी कार्यरत होने चाहिए। A.I.R 1928 Lahore 74 मामले में यह निर्णित हुआ कि- कारखाने से ऐसा परिसर समझा जायेगा जिसमें किसी वस्तु का निर्माण या उसकी फिनिशिंग उस स्तर तक की जाती है जहाँ तक कि वह बाजार में बेचने के लिए उपयुक्त दशा में पहुँच जाये। इस धारा के अन्तर्गत प्रसीमाओं को शामिल करते हुए परिसर का तात्पर्य ऐसे परिसर से होता है जो कि प्रसीमाओं के सहित हो अर्थात दीवारों से घिरे हुए स्थान हो। इसी प्रकार एक मामले में 300 एकड़ के खुले स्थान पर पट्टी की खान फैली हुई थी। काम खुले आकाश में किया जाता था। शेड रूम में केवल मकान था। खान में 50 से अधिक व्यक्ति काम करते थे, जो चट्टानों को तोड़कर बिक्री योग्य दशा में स्लेट बनाते थे। यह निर्णय दिया गया कि यह खान कारखाना नहीं था क्योंकि निर्माण प्रक्रिया खुले मैदान पर होती थी।

इन बातों के आधार पर इसके उद्देश्यों को स्पष्ट कर दिया गया है कि इस अधिनियम के बनाये जाने का मुख्य उद्देश्य कारखानों में श्रम संबंधी कानून को संशोधित एवं सुदृढ़ करना और श्रमिकों के हितों का सर्वोपरि रखना है। अधिनियम का लक्ष्य कारखानों में काम करने वालों को अधिकतम सुख-सुविधायें दिलाना, उनके कार्य की सुरक्षा करना, उनकी कार्यक्षमता बनाये रखना और उनसे अधिक काम न लेने का है। इस प्रकार स्पष्ट है "कारखाना अधिनियम, 1948 समाज सुधार के मार्ग को प्रशस्त करता है। सन् 1976 में Factories Act, 1948 को संशोधित किया गया है। इस संशोधन के अनुसार कारखाने के अन्तर्गत खान (Mine), Armed Force की चल इकाई सम्मिलित नहीं है, रेलवे का रनिंग शेड या होटल, रेस्टोरेन्ट कारखाना नहीं है। फिल्म उद्योग या कच्ची फिल्म का प्रदर्शन योग्य चित्रपट में परिवर्तन करता है। यह एक उत्पादन प्रक्रिया है। अतः यह कार्य जहाँ किया जाता है वह कारखाना कहलायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जा रहा मुद्रण संस्थान कारखाना है।"

अतः कारखाना अधिनियम, 1948 की प्रस्तावना से स्पष्ट है अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को नियंत्रित करना है।

—:—

Scanned with CamScanner